रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 1972/ज्येष्ठ 25, 1894

No. 138] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 1972/JYAISTHA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, The 15th June 1972

No. DRAWBACK/PN 54/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN—1 dated the 15th October 1971:—

For Sub-Serial No. 3850 and the entries relating thereto, the following shall be Substituted.

Sub. Sl. No.	Description of goods.	Rate of drawback	
		With effect from 1-2-1972	With effect from 1-5-1972
3850	(i) Slotted angles, panels, panel plates, panel dividers and other accessories made out of steel sheets of thickness 2mm and less	Rs. 405·00 (Rupees four hundred and five only) per tonne.	Rs. 526·50 (Rupees five hundred and twenty-six and fifty paise only) per tonne.
	(ii) Slotted angles, panels, panel plates, panel dividers and other accessories not otherwise specified made of steel sheets.	Rs. 283·50 (Rupees two hundred and eighty - three and fifty paise only) per tonne.	Rs. 368·50 (Rupees three hundred and Sixty-eight and fifty paise only) per tonne.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 15 जून 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 54/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/ पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 3850 तथा उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर	
		1–2–1972 से लागू	1–5–1972 से लागू
(1)	(2)	(3)	(4)
3850	(i) 2मि०मी० तथा इससे कम मोटाई की इस्पात चादरों से निर्मित स्लाटेड ऐंगल, पेनल, पेनल-प्लेटें, पेनल डिवाइडर तथा अन्य उपांग	405.00 रुपये (केवल चार सौ पांच रुपये) प्रति टन।	526.50 रुपये (केवल पांच सौ छब्बीस रुपये पचास पैसे) प्रति टन।

(1)	(2)	(3)	(4)
(ii)	इस्पातचादरों से निर्मित स्लाटेड ऐंगल, पेनल, पेनल प्लेटें, पेनल डिवाइडर तथा, अन्य उपांग जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	283.50 रुपये (केवल दो सौ तिरासी रुपये पचास पैसे) प्रति टन ।	368.50 रुपये (केवल तीन सौ अड़सठ रुपये पचास पैसे) प्रति टन ।

No. DRAWBACK/PN 55/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1972:—

For Sub-Serial No. 3819 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods.	
3819	Steel drums when filled with Asphalt.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.

सं० **प्रतिअदायगी**/पी० एन०—55/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० /52 का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी के एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उप-क्रम सं० 3819 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
3819	इस्पात के ड्रम जब वे एस्फाल्ट से भरे हों ।	ब्राण्ड दर अलग अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जाती है ।

No. DRAWBACK/PN—*56/72*— Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India Extra-Ordinary, dated the 25th August, 1971 the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For Sub-Serial No. 2802 and the entries relating there to, the following shall be substituted :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
2802	Woollen carpets other than machine made woollen tufted carpets.	Rs. 0.65 (Sixty-five paise only) per Kg.

Explanation :—"Woollen Carpet" means carpet, woollen yarn content of which is not less than 50% by weight.

सं० प्रति अदायगी/पी० एन० 56/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधि-सूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्व-जनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रम सं० 2802 तथा उससे सबन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
2802	मशीन से बने ऊनी गुच्छेदार (टफ्टेड) कालीन से भिन्न ऊनी कालीन ।	0.65 रु० (केवल पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम

स्पष्टीकरण :—"ऊनी कालीन का अर्थ उस कालीन से है जिसमें ऊनी धागा अन्तर्वस्तु भार के आधार पर 50 प्रतिशत से कम नहीं हो ।

No. DRAWBACK/PN 57/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70 DBK, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For Sub-Clause (B) of Sub-Serial No. 4002 and the entries relating there to the following shall be substituted :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback.
4002	(B) Components parts of vertical and horizontal diesel engines upto 40HP (other than marine diesel engines) and diesel engines of vehicular type.	
	(i) Articles or components made of cast iron.	0·5% (Point five percent) advalorem.
	(ii) Articles or components made of steel castings sections, sheeets and pipes.	3% (three percent) advalorem.
	(iii) Other not covered by S. No. (i) or (ii)	3% (three percent) advalorem.

(2) For Sub-Serial No. 5002 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

5002	Components parts of Motor vehicles (other than gaskets) N.O.S. including components part of vehicular type of diesel engines.	
	(i) Articles or components made of cast iron.	0·5% (point five percent) of f.o.b. value.
	(ii) Articles or components made of steel castings sections sheets and pipes.	3% (three percent) of f.o.b. value.
	(iii) Articles or components made of aluminium of aluminium alloy consisting of more than 80% of aluminium.	15% (Fifteen percent) of f.o.b. value.
	(iv) Radiator assemblies and cores fot Motor Vehicles a and all cooled radiators viz.,	
	(a) Radiator assemblies of Copper/ Brass constructions.	Rs. 2·96 (Rupees two and ninty six paise only) per Kg.
	(b) Radiator assemblies of Steel/ Brass construction.	Rs. 2·63 (Rupees two and sixty three paise only) per Kg.
	(c) Radiators cores of Copper/ Brassconstruction.	Rs. 3·88 (Rupees three and eighty eight paise only) per Kg.
	(v) Ignition coils, Ignition distribut or assembly electrical horns, dynamos or alternators voltage regulators and solenoid.	10% of the f.o.b. value (Ten percent)

Sub-Sl. No.	Description of goods.	Rate of drawback.
	(vi) Starter Motors . . .	5% (five percent) of FOB value.
	(vii) Spark Plug. . . .	7. 5% (Seven point five percent) of FOB value.
	(viii) Commutators.	14% (Fourteen percent) of f.o.b. value.
	(ix) Steel Wheels for commercial vehicles.	10% (Ten percent) of f.o.b. value.
	(x) Thin Wall Bearings . . .	10% (Ten per cent) of f.o.b. value.
	(xi) Shock Absorbers. . . .	4% (Four percent) of f.o.b. value.
	(xii) Brake linings. . . .	9% (Nine percent) of f. o. b. value.
	(xiii) Engine valves. . . .	7·5% (Seven point five percent) of f. o.b. value .
	(xiv) Filters having filter paper media.	30% (Thirty per cent) of f.o.b. value. paper
	(xv) All other not elsewhere specified in this item.	3% (Three percent) of f. o. b. value.

NOTE:— The above rates will be applicable provided no rebate of Central Excise Duty paid on the raw materials or components used in the manufacture of the finished products has been availed of under Rule 56A or any other law inforce.

सं० प्रतिश्रदायगी/पी० एन० 57–72.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रतिश्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०स० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना स० प्रतिश्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम स० 4002 के उप–खण्ड (ख) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रम स०	माल का विवरण	प्रतिश्रदायगी की दर
4002 (ख)	40 अश्व शक्ति तक के खड़े हुए और पड़े हुए (मैरीन डीजल इंजिनों से भिन्न) डीजल इंजिनों के निर्माण हिस्से तथा वाहन की किस्म के डीजल इंजिन ।	
	(i) ढलवां लोहे से निर्मित वस्तुएं अथवा निर्माणक हिस्से ।	मूल्यानुसार 0.5 प्रतिशत (दशमलव पांच प्रतिशत)

(1)	(2)	(3)
	(ii) इस्पात कास्टिंगों, सेक्शनों, शीटों, और पाइपों से निर्मित वस्तुए अथवा निर्माणक हिस्से ।	मूल्यानुसार 3 प्रतिशत । (तीन प्रतिशत)
	(iii) अन्य, जो क्रम सं० (i) अथवा () के अन्तर्गत नहीं आते हों ।	मूल्यानुसार 3 प्रतिशत । (तीन प्रतिशत)
	(2) उप-क्रम स० 5002 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्न-लिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :	
5002	(गास्केट से भिन्न) मोटर-गाड़ियों के निर्माणक हिस्से, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों, जिनमें डीजल इंजिनों के वाहन की किस्म के निर्माणक हिस्से भी शामिल हैं ।	
	(i) ढलवां लोहे से बनी हुई वस्तुएं अथवा निर्माणक हिस्से ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.5 प्रतिशत (दशमलव पांच प्रतिशत)।
	(ii) इस्पात की कास्टिंगों, सेक्शनों शीटों तथा पाइपों से बनी वस्तुए अथवा निर्माणक हिस्से ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत)
	(iii) 80 प्रतिशत एल्युमिनियम से अधिक से बनी एल्युमिनियम मिश्र-धातु के एल्युमिनियम से विनिर्मित वस्तुएं अथवा निर्माणक हिस्से ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 15 प्रतिशत (पन्द्रह प्रतिशत) ।
	(iv) मोटर गाड़ियों के लिए रेडिएटर के संयोजन तथा कोर और सभी उपशमित रेडिएटर, अर्थात्	
	(क) तांबे/पीतल की संरचना के रेडिएटर के संयोजन ।	2.96 रुपये (दो रुपये) छियानव पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा० ।
	(ख) इस्पात/पीतल की संरचना रेडिएटर के संयोजन ।	2.63 रुपये (दो रुपये तिरेसठ पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
	(ग) तांबे/पीतल की सरचना के रेडिएटर, कोर ।	3.88 रुपये (तीन रुपये अट्ठासी पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा० ।

(1)	(2)	3)
(v)	प्रज्वलन कायलें, प्रज्वलन वितरक संयोजन , विद्युतीय हार्न, डायनेमो अथवा आलटरनेटर, वोल्टेज रेगुलेटर तथा सीलनायड ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत)
(vi)	मोटरगाड़ियों के स्टार्टर	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत)
(vii)	स्पार्क प्लग	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5 प्रतिशत (सात दशमलव पांच प्रतिशत) ।
(viii)	कम्प्यूटेटर	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 14 प्रतिशत (चौदह प्रतिशत) ।
(ix)	वाणिज्यिक वाहनों के लिए इस्पात के पहिए ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) ।
(x)	थिन वाल वेयरिंग	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मल्य का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत)
(xi)	शाक एब्जार्बर	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत)
(xii)	ब्रेक लाइनिंग	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) ।
(xiii)	इजिन वाल्व	पोत -पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5 प्रतिशत (सात दशमलव पांच प्रतिशत)
(xiv)	फिल्टर पेपर मीडिया वाले फिल्टर	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 30 प्रतिशत (तीस प्रतिशत) ।
(xv)	अन्य सभी, जो उस मद में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) ।

टिप्पणी :—उपर्युक्त दरें तभी लागू होंगी यदि तैयार उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल अथवा निर्माणक हिस्सों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में नियम 56 क अथवा अन्य किसी प्रवर्तमान कानून के अन्तर्गत कोई रिबेट प्राप्त नहीं किया गया हो ।

No. DRAWBACK/PN 58/72. Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602 2 70—DBK published in the Gazette of India—Extra ordinary—dated the 25th August, 1971, the Central Government hereby make the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October 1971 :—

After Sub-Serial No. 2902 and the entries relating there to, the following Sub- Serial No. and the entries shall be inserted, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback.
2903	Canvas Footwear	
	(a) Gents.	Rs. 331·71 (Rupees three hundred and thirty one and seventy one paise only) per one thousand pairs.
	(b) Ladies.	Rs. 278·61 (Rupees two hundred and seventy-eight and sixty-one paise only) per one thousand pairs.
	(c) Children	Rs. 180 69 (Rupees one hundred and eighty and sixty nine paise only) per one thousand pairs.
	The above rates are exclusive of packing materials which may claimed separately at the prescribed rates.	

All brand rates fixed for individual manufcacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

M. PANCHAPPA,
Director of Drawback.

सं० प्रतिप्रदायगी /पी० एन० 58/72.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रति-प्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना स० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना स० प्रतिप्रदायगी /पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2903 तथा उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उप-क्रम सं० तथा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उपक्रम स० तथा प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
2903	कैनवस के जूते	
	(क) मर्दाने	331.71 रुपये (केवल तीन सौ इकतीस रुपये इकहत्तर पैसे) प्रति एक हजार जोड़े ।

(1)	(2)	(3)
	(ख) जनाने	278.61 रू० (केवल दो सौ अठहत्तर रुपये इकसठ पैसे) प्रति एक हजार जोड़े ।
	(ग) बच्चों के	180.69 रु० (केवल एक सौ अस्सी रुपये उनहत्तर पैसे) प्रति एक हजार जोड़े ।

उपर्युक्त दरों में पैकिंग सामग्री शामिल नहीं है जिसका दावा नियत दरों पर अलग से किया जा सकता है ।

इस सार्वजनिक सूचना के लागू हो जाने से उपर्युक्त माल के सम्बन्ध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए निर्धारित सभी ब्राण्ड दरें वापस ले ली गई समझी जायेंगी ।

एम० पंचप्पा,
निदेशक, प्रति अदायगी ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972